<u>न्यायालयः—तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर</u>
(पीठासीन अधिकारी—श्रीमती कंचन गुप्ता)
<u>अंतरिम आवेदन कं.—439/03/2021</u>
<u>सत्र प्रकरण कं.—560/2018</u>

अज्जू उर्फ अजय सिंह मरकाम उर्फ अरविंद पिता धनीराम मरकाम
उम्र लगभग—36 वर्ष, निवासी—ग्राम सरौली, थाना कुंडम
जिला—जबलपुर

——— आवेदक

//वि रू द्ध//

मध्य प्रदेश शासन द्वारा
आरक्षी केन्द्र—अधारताल
जबलपुर (म.प्र.) ———अनावेदक

07.12.2021

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री अनिल तिवारी अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

आवेदक अज्जू उर्फ अजय सिंह मरकाम न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, जेल वारंट प्राप्त।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. पर उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया गया है कि आवेदक का प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। जिसका एसटी. नं. 560/2018 धारा—302, 201, 376 (2)जी, 294, 397 भा.दं.सं. है। आवेदक गिरफ्तारी दिनांक से आज दिनांक तक केन्द्रीय कारागार जबलपुर में लगभग तीन वर्षों से निरूद्ध है। प्रकरण के सहआरोपी गंगागिरी गोस्वामी की पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय से जमानत हो चुकी है। आवेदक का माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है इसके पूर्व कोई भी आवेदन अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लंबित पेश व निराकृत नहीं है। वह अपने

www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010285132018-orderno-3

परिवार का एक मात्र भरण पोषण करने वाला सदस्य है। वह जबलपुर जिले के अंतर्गत थाना कुंडम का स्थाई निवासी है। उसके फरार होने की संभावना नहीं है। वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाए।

आवेदन के समर्थन में नरेन्द्र रैकवार का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान व्यक्त किया गया कि प्रकरण में मुख्य आरोपी गंगागिरी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया जा चुका है आवेदक का प्रकरण उससे भिन्न नहीं है। आवेदक लगातार तीन वर्षों से जेल में है। अतः आवेदक/आरोपी अज्जू उर्फ अजय को समानता के आधार पर जमानत का लाभ प्रदान किया जाए।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अभियुक्त को जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि आवेदक/आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि इस न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक–560/2018 शासन वि. गंगागिरी गोस्वामी एवं अन्य में आरोपीगण के विरूद्ध धारा 302, 201, 376 (2)जी, 294, 397 भा.दं.सं. का आरोप विरचित कर प्रकरण साक्ष्य हेतु दिनांक 24.12.2021 को नियत है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि आवेदक/आरोपी अजय उर्फ अज्जू द्वारा पूर्व में दशम अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 01.03.2019 को निरस्त किया जा चुका है। अभिलेख में संलग्न माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रं. 33141/2020 में दिए गए आदेश दिनांक 03.02.2021 का अवलोकन किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह आधार पाते हुए कि अंतिम बार देखे जाने की साक्ष्य बाधित हुई है और आवेदक 2018 से जेल में निरूद्ध है और लगभग

www.ecourtsindia.com
www.ecourtsindia.com
www.ecourtsindia.com
www.ecourtsindia.com
www.ecourtsindia.com
www.ecourtsindia.com
www.ecourtsindia.com
www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010285132018-orderno-3

सभी आवश्यक साक्षियों की साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष हो चुकी है जिस कारण से आवेदक द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। ऐसा मानते हुए बिना प्रकरण के गुण दोषों पर विचार कर आवेदक गंगागिरी का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है।

आवेदक/आरोपी की गिरफ्तारी दिनांक 05.10.2018 को गिरफ्तारी के पश्चात् इस प्रकरण में पूरक चालान के रूप में पेश किये जाने पर उपार्पित होकर इस प्रकरण में संलग्न किया गया है।

सह अभियुक्त गंगागिरी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह पाते हुए कि अंतिम बार देखे जाने की साक्ष्य बाधित हुई है और आवेदक 2018 से जेल में निरूद्ध है और लगभग सभी आवश्यक साक्षियों की साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष हो चुकी है जिस कारण से आवेदक द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है जमानत आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2021 को स्वीकार किया। आवेदक का मामला सह अभियुक्त गंगागिरी से भिन्न नहीं है। आज दिनांक को भी प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। अतः विचारण में समय लगने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त अज्जू उर्फ अजय को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अत : आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार कर यह आदेशित किया जाता है कि आवेदक की ओर से न्यायालय की संतुष्टि योग्य 50,000–50,000/– (पचास–पचास हजार) की दो सक्षम जमानत एवं 1,00,000/–(एक लाख रूपये) की राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्न **शर्तो** के अधीन जमानत पर मुक्त किया जाएः–

(1) आवेदक/आरोपी नियमित पेशियों पर उपस्थित होता रहेगा।

www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010285132018-orderno-3

(2) अभियोजन साक्ष्य को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

(3) रिहाई आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना के संबंध में दी गई गाईडलाइन का अनुपालन कराया जाने का उल्लेख किया जाए।

तद्नुसार आई.ए.क्र.–03 निराकृत किया गया।

प्रकरण पूर्ववत साक्ष्य हेतु दिनांक–24.12.2021 को पेश हो।

KANCHAN GUPTA

Digitally signed by KANCHAN GUPTA
Date: 2021.12.07 17:34:00 +0200

श्रीमती कंचन गुप्ता
तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर(म0प्र0)

www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010285132018-orderno-3